

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—  
कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्या:—17

दिनांक:—21.09.2012

वार :- शुक्रवार

समय:— दोपहर— 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 21.09..2012 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:—

नाम सदस्य	अधिकारी गण
1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत उपसभापति एवं सदस्य	1. श्री सत्यनारायण आचार्य आयुक्त एवं सदस्य सचिव
2. श्री फूल सिंह मीणा सदस्य	2. श्री राजेश वर्मा उपनगर नियोजक
3. श्रीमति अर्चना शर्मा सदस्य	3. श्री समर्थ सिंह बाबेल सहायक अभियंता
4. श्री महोम्मद खलील सदस्य	4. श्री चतर सिंह चौहान सहायक अभियंता
5. श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला सदस्य	5. श्री करीमुद्दीन सर्वेयर
6. श्री दुर्गेश जी सदस्य	6. श्री सिराजुद्दीन सर्वेयर
7. श्री राजेश जी जैन सदस्य	

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया और दिनांक 25.06.2012 की बैठक संख्या 15 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद् के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भवन शाखा की नियमन की पत्रावलियों में जिनमें नियमन की राशि जमा नहीं कराई हुई है। उनकी पत्रावलियों की कार्यवाही को निरस्त करते हुए भवन को सीज किया जावे तथा नियमन की पत्रावलियों में मांग पत्र के साथ सेट बेक में किये गये नियमन का विवरण भी भिजवाया जावे तथा सीज किये गये भवन जिनमें वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने हेतु राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया जावे एवं भविष्य में सीज किये गये भवनों पर निर्माण कार्य नहीं हो इसके लिए राजस्व अधिकारी को पाबंद किया जावे एवं बापू बाजार योजना में टाईप डिजाईन भूतल + दो मंजिल की ही टाईप डिजाईन है। परंतु 35.54 प्रतिशत तक भवन भूतल + तीन मंजिल बना लिये गये है। जिसके नियमन नहीं करने से परिषद् को राजस्व की हानि होती है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बापू बाजार योजना में थर्ड फ्लोर को वाणिज्यिक आरक्षित दर से राशि वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा इसके अतिरिक्त जो भी निर्माण है उसे परिषद् द्वारा सीज किया जावे। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया गया। समिति सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>1.</b>	261, रेती स्टेण्ड, उदयपुर	श्री गजेन्द्र सुहालका पिता कन्हैया लाल सुहालका	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गुरुदीप सिंह पिता श्री सरदार बन्ता सिंह के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार दुकान टीन शेड में बना रखी है। जिसका नियमन किया जाना है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
<b>2.</b>	29, माछला मगरा, उदयपुर	श्री अशोक, रमेश, राजेश चड्ढा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति रेवन्ती देवी पति श्री मणी राम कुन्दरा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं वसीयत से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार तलघर तथा प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण कर रखा है तथा सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है जिसका नियमन कराना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन रेखा के मध्य बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<b>क्रम संख्या</b>	<b>भूखंड संख्या का नाम</b>	<b>प्रार्थी का नाम</b>	<b>विवरण</b>	<b>समिति निर्णय</b>
<b>3.</b>	15, सेन्ट्रल एरिया, उदयपुर	श्री जगदीश सिंह, पिता नारायण सिंह एवं भगवत सिंह पिता श्री नारायण सिंह	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति रेवन्ती देवी पति श्री नारायण सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड में वारीसान की हैसीयत से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार भूतल पर गैराज की जगह कमरा बना लिया है तथा आगे के सेट बेक में एक कमरे का निर्माण किया है तथा प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गैराज की जगह कमरे का निर्माण किया जिसकी शास्ती 5000/- रूपये तथा गैराज के ऊपर कमरे का निर्माण करने की शास्ती 3000/- रूपये तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा प्रथम तल बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत के 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा साथ ही प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में जो कमरे का निर्माण कर रखा है। उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा तथा इसके ऊपर भी भविष्य में निर्माण नहीं करेगा।
<b>4.</b>	50, से नं. 11, उदयपुर	श्रीमति शांता चित्तौडा एवं रेखा कच्छारा, मीना जैन एवं निधी चित्तौडा पिता/पति श्री लक्ष्मी लाल चित्तौडा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण/लीज डीड हेतु आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री लक्ष्मी लाल पिता श्री किशन लाल चित्तौडा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड में वारीसान की हैसीयत से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने फ्रन्ट सेट बेक में गैराज बना रखा है तथा पीछे के सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे तथा साथ ही प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में जो कमरे का निर्माण कर रखा है। उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा तथा इसके ऊपर भी भविष्य में निर्माण नहीं करेगा।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>5.</b>	3, फतेहपुरा, पोलोग्राउण्ड, उदयपुर	श्री सुशील सिंघवी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण/उपविभाजन हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री भीम सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह मेहता के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय पत्र एवं न्यायालय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.86 के अनुसार प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक में जो निर्माण किया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए एवं गैराज का कमरों में परिवर्तित करने की राशि 5000/- रूपये शास्ती लेते हुए प्रार्थी के भवन को नियमन किया जाता है एवं उपविभाजन शुल्क भी वसूल होगा।
<b>6.</b>	401 भूपालपुरा, उदयपुर	श्री शांति लाल हिंंगड	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सोहन लाल हिंंगड के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। प्रार्थी के भूखंड का सबडिविजन प्रार्थी द्वारा ही किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से पेनाल्टी ली जाकर नियमन किया जाता है एवं उपविभाजन शुल्क भी वसूल होगा।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>7.</b>	2 डी, सेट जी की बाडी, उदयपुर	श्रीमति कंचन देवी बापना	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री दौलत सिंह/चांदमल कावडिया मे नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र व विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी का भूतल और प्रथम तल में पीछे की तरफ कमरा, टॉयलेट आदि का निर्माण कर रखा है व प्रार्थी ने फ्रन्ट में 12'-0" के स्थान पर 10'-0" सेट बेक छोड रखा है साईड में 4'-0" के स्थान पर 3'-4" सेट बेक छोड रखा है एवं पीछे में संपूर्ण 4'-0" सेट बेक में निर्माण कर रखा है एवं पुरा भवन बिना स्वीकृति के बना रखा है प्रार्थी के भवन का उपविभाजन भी किया जाना है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं सेट बेक छोडकर जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जाता है। प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क भी वसूल होगा।
<b>8.</b>	37, भोपालपुरा	श्री अरूण जोशी, निर्मल जोशी, श्रीमति रजनी जोशी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री बी.पी जोशी के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं गैराज को कमरे परिवर्तित किया उसकी शास्ती 5000/- रूपये ली जाकर नियमन किया जाता है।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>9.</b>	187, अशोकनगर	श्री शांति लाल, राकेश	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण/उपविभाजन हेतु आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति प्रेम देवी जैन पति श्री केसरीमल सहलोत के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध बिना स्वीकृति के जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जाता है एवं प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क भी वसूल होगा। सामने के सेट बेक में जो कमरा बनाया उसको वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लेने का शपथ पत्र लिया जावे।
<b>10.</b>	107,108,109 अलीपुरा, उदयपुर	श्री शरद यादव, प्रकाश यादव एवं कंचन यादव	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नियमन, नामान्तरण एवं पुर्नगठन हेतु आवेदन किया है आपत्ति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार प्लॉट संख्या 107 श्रीमति राजाबाई पति श्री लाल चन्द्र अहीर एवं 108,109 श्री लाल चन्द्र पिता उमराव जी के नाम पर है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखंड न्यायालय डीक्री एवं राजीनामा दिनांक 5.5.11 के दस्तावेज के आधार पर चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि लेते हुए नियमन किया जाता है। प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क एवं संयुक्तीकरण शुल्क भी वसूल होगा।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>11.</b>	भ. अ/155/11-12 प्लाट नं. 96 सी, शिव कॉलोनी से नं. 6, उदयपुर	श्री मुकेश मुणोत पिता श्री भंवर लाल मुणोत	प्रार्थी को भ.अ/155/11-12 के तहत सामने से 15'-0" साईड व पीछे 10'-0" - 10'-0" सेट बेक छोडते हुए भूतल + दो मंजिल मय गैराज के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। जिसके विपरित प्रार्थी द्वारा सेट बेक में विचलन किया गया। जो कि सामने से 38 प्रतिशत पीछे 81 प्रतिशत एवं साईड में 87 प्रतिशत क्षेत्र में विचलन किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.12 को उक्त किये गये विचलन को नियमानुसार नियमन कराने हेतू प्रार्थना पत्र मय नक्शें प्रस्तुत किये हैं।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती दर आरक्षित दर से वसूल की जाकर प्रकरण को नियमन किया जाता है। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि पडोसियों द्वारा कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन न हो तथा भविष्य किये गये नियमन पर निर्माण कार्य न करे।
<b>12.</b>	भ.अ/21/11-12 भोईवाडा, सीमेंट रोड, उदयपुर	श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. माणक चन्द्र एवं श्रीमति हेमलता देवी पति इन्द्र लाल	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6.2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध मौके पर भूतल में दुकान एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल मय निकासु के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14'-0" चौडी सडक स्थित है। स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भवन के कतार में कितनी मंजिल तक निर्माण किया है उसकी रिपोर्ट लेकर प्रकरण आगामी बैठक में रखे।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>13.</b>	भ.अ/55/09-10 35,36 भाण बाग, फतेहपुरा योजना, उदयपुर	श्री भूपेन्द्र सिंह मेहता पिता संग्राम सिंह मेहता	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 5.10.2009 को सामने से 30'-0'' एवं तीनों तरफ से 10'-0'' - 10'-0'' सेट बेक छोड़ते हुए स्टील्ड पार्किंग व भूतल + तीन मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने मौके पर सेट बेक में निर्माण किया एवं निकासु बनाया एवं फोर्थ एवं फिफ्त फ्लोर बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। जिसका नियमन करना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया/निकासु बंद बनाया एवं फोर्थ एवं फिफ्त फ्लोर बिना स्वीकृति के बनाया जिसमें प्रार्थी से सेट बेक में किये निर्माण/बंद निकासु एवं फोर्थ फ्लोर की शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं फिफ्थ फ्लोर की शास्ती आरक्षित दर की दुगुनी ली जावे एवं पार्किंग की कमी की राशि भी वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।
<b>14.</b>	भ.अ/62/12-13 34/289, बापू बाजार, उदयपुर	श्री हर्ष अग्रवाल एवं अनिल अग्रवाल पिता श्री सुरेश चन्द्र जी अग्रवाल	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 17.01.73 को भूतल में दुकान एवं पूरब व दक्षिणी तरफ बरामदा एवं प्रथम एवं द्वितिय तल में आवासीय भवन जिसमें पूरब व दक्षिणी तरफ बरामदा रखते हुए स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध भूतल में बरामदे को दुकानों में शामिल मिला लिया गया है एवं तृतीय तल पर बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। जिसका नियमन चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से भूतल पर बरामदे खुले रखने का शपथ पत्र लिया जावे एवं प्रार्थी ने जो थर्ड फ्लोर बिना स्वीकृति के बनाया गया है। उसकी शास्ती व्यवसायिक आरक्षित दर से ली जाकर नियमन किया जाता है प्रथम, द्वितिय एवं तृतीय मंजिल का उपयोग आवासीय ही करने का शपथ पत्र लिया जावे।



**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:-**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>15.</b>	भ.अ/72/11-12 58, गायत्री मार्ग, अमंल का कांटा, उदयपुर	श्री राजेन्द्र कुमार पिता प्यारे लाल शर्मा	प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति के पूर्व ही भूतल में एन्ट्रेस पोल एवं सडक की ओर निकासू रचना का निर्माण किया तथा उक्त पोल के पीछे व उत्तरी ओर हॉल, लेट बाथ, किचन क्षेत्र पर निर्माण कर लिया है। पोल के पीछे दक्षिणी ओर कमरों का भी निर्माण किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 4.11.11 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमानुसार नियमन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त क्षेत्र में विवरण अनुसार अनाधिकृत निर्माण किया गया है किंतु स्वामित्व सम्बन्धित स्पष्ट रिपोर्ट परिषद् अधिवक्ता से ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
<b>16.</b>	भ. अ/184/10-11 29, चमनपुरा, लोहा बाजार उदयपुर	श्री तौकीर हुसैन, ईरशाद एवं फरीदा हीतावाला	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 01.03.2011 को प्रार्थी को प्रथम चरण में भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने द्वितीय चरण की स्वीकृति नहीं ली गई। प्रार्थी ने मौके पर स्टील्ड पार्किंग, भूतल + दो मंजिल तक आवासीय फ्लेट्स बनाये गये। जिसे नियमन कराना चाहते हैं।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध स्टील्ड पार्किंग एवं द्वितीय तल बिना स्वीकृति के बनाया गया। जिसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं पूर्व में निर्मित स्वीकृति के बाहरी अतिरिक्त क्षेत्र की शास्ती डी एल सी का 20 प्रतिशत से शास्ती वसूल होगी एवं पार्किंग की कमी की राशि वसूल होगी एवं प्रार्थी से स्टील्ड पार्किंग का समर्पण पत्र लिया जावे।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:-**

<b>क्रम संख्या</b>	<b>भूखंड संख्या का नाम</b>	<b>प्रार्थी का नाम</b>	<b>विवरण</b>	<b>समिति निर्णय</b>
<b>17.</b>	भ. अति/186/11-12 छबीला भैरू मार्ग, उदयपुर	श्रीमति पुष्पा जैन पति श्री शुरवीर जैन एवं श्री नितेश जैन पति श्री ललित जैन	प्रार्थी को भ.अ/17/2009-2010 के तहत भूतल + एक मंजिल आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। जिसके विपरित प्रार्थी द्वारा भूतल में शटर लगा वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्माण किया तथा द्वितीय तल में भी निर्माण किया गया। जो कि बिना स्वीकृति के है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.8.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में उक्त भवन को दिनांक 22.06.12 को सीज किया गया था। जिसे खुलवाने एवं अतिरिक्त निर्माण को नियमन कराने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.12 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें सीज की समयावधि समाप्त होने सीज को खोला गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर सीज खुली हुई पाई गई। समिति सदस्यो उक्त सीज खोले जाने की जानकारी नहीं होने से उक्त भवन को पुनः सीज किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
<b>18.</b>	भ. अति/312/12-1 3 5, बोर्दियों की सेहरी, उदयपुर	श्री मुकेश राजपुत पिता स्व. श्री शंकर सिंह राजपुत	मौके पर प्रार्थी द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के भूतल + प्रथम तल जो पुराना बना हुआ था। उसे गिराकर पुनः नया निर्माण किया गया। जो कि नियमों के खिलाफ होने से प्रार्थी को सूचित किया गया उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य को बंद नहीं किया गया। जिस पर भवन को सीज किये जाने का निर्णय लिया जाकर सीज किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीज खुलवाने का आग्रह किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी समिति मे उपस्थित हुआ एवं समिति से सीज खोलने का आग्रह किया गया कि भवन में आवश्यक वस्तुएं एवं बच्चों की पढाई की सामग्री भी अंदर ही सीज हो गई है। जिससे बच्चों की पढाई में भी व्यवधान हो रहा है। जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त भवन की सीज खोली जाकर एवं प्रार्थी से निर्माण एवं रिपेयरिंग नहीं करने का शपथ पत्र लिया जावे।

**अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—**

<u>क्रम संख्या</u>	<u>भूखंड संख्या का नाम</u>	<u>प्रार्थी का नाम</u>	<u>विवरण</u>	<u>समिति निर्णय</u>
<b>19.</b>	आर डी ए/14/12-13 मकान नं. 6, नाडा खाडा, हरिजन बस्ती, उदयपुर	श्री राम लाल पिता स्व. गिलु जी हरिजन	मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति दिनांक 28.09.94 के विरुद्ध द्वितीय तल में निकासू बंद बनाया गया है। जिसे नियमन कराना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो द्वितीय तल में बिना स्वीकृति के बंद निकासु बनाया गया उसकी शास्ती डी एल सी का 20 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त  
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष  
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:— नपउ/भ.वि/12-13/  
दिनांक:—

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री / श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—

7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त  
नगर परिषद्, उदयपुर

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2012 का कार्यवाही विवरण:—

<p>भ.अ/25/96-97 31, शिवमार्ग, तेलीवाडा, उदयपुर</p>	<p>श्री शंकर लाल बया, लक्ष्मी देवी, रमेश चन्द्र, विजय, कमलेश पिता केशरीमल बया</p>	<p>प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 3.9.93 को आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध मौके पर पूरे भवन को व्यवसाय, दुकाने बना दी गई है।</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 13.08.2012 को लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।</p>
--	---	--	---